



# NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.  
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

No : 42/NCRES/42/23

Date : 1.2.2023

श्रीमान डा० एम. राघवैया जी  
महामंत्री, एन.एफ.आई.आर.  
नई दिल्ली

विषय:- वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने वाले 70% ग्रुप "बी" सेलेक्शन के 50 प्रतिशत पदों को वरिष्ठता से मात्र साक्षात्कार एवं ACR के आधार पर भरा जाना।

महोदय,


अवगत कराना है कि NCRES के नवें त्रिवाषिक अधिवेशन में दिनांक 28.11.2022 को आपके आगरा आगमन पर NCRES के संयुक्त महामंत्री श्री आलोक सहगल ने चर्चा के दौरान अवगत कराया था कि भारतीय रेल में ग्रुप "बी" गैजेटेड कैडर में 30 प्रतिशत पद टैलेन्ट कोटे से एवं 70 प्रतिशत पदों को वरिष्ठता के आधार पर लिखित परीक्षा के बाद भरा जाता है।

70 प्रतिशत ग्रुप "बी" सेलेक्शन की परीक्षा आब्जेक्टिव कर देने के बावजूद विभिन्न कारणों से कुछ ईमानदार एवं अनुभवी कर्मचारियों का चयन नहीं हो पाता, जिसके कारण वो निराश हो जाते हैं और कुछ कर्मचारी अधिक उम्र हो जाने के कारण परीक्षा के लिये अपने आपको मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाते।

NCRES का यह भी मानना है कि अधिक उम्र हो जाने एवं अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों जैसे बच्चों का विवाह, मकान आदि के कारण परीक्षा न पास कर पाने वाले कर्मचारियों के अनुभव को नजरंदाज कर देने से जहाँ एक तरफ कर्मचारी का नुकसान होता है एवं उनमें हीन भावना आती है वही दूसरी तरफ रेलवे को भी उनके 20-25 वर्ष के अनुभव का लाभ नहीं मिल पाता है।

इसके अतिरिक्त यह भी कि एक ग्रुप "सी" के उच्चतम ग्रेड पर भर्ती के ग्रुप "सी" कैडर में ही रिटायर हो जाने से भारतीय रेल की तरफ नई ऊर्जा प्रतिभावान नवयुवक रेलवे की नई भर्ती की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, जबकि यदि 70 प्रतिशत ग्रुप "बी" के चयन के 50 प्रतिशत पदों को बिना परीक्षा के वरिष्ठता के आधार पर भरने का नया नियम लाया जाय तो लगभग सभी वरिष्ठ एस. एस.ई ग्रुप "बी" स्टेटस पर ही रिटायर होंगे।

अतः NCRES का अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड से वार्ता कर नियमों में बदलाव कर वरिष्ठता के आधार पर ग्रुप "बी" सेलेक्शन के 70 प्रतिशत कोटे के 50 प्रतिशत पदों को साक्षात्कार एवं ACR के आधार पर भरा जाय एवं बाकी 50 प्रतिशत पदों पर वर्तमान पद्धति के अनुसार चयन किया जाय।

  
(आर. पी. सिंह)  
महामंत्री